मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

चयन परीक्षाओं के संबंध में विभाग से प्राप्त की जाने वाली वांछित जानकारी

नोट : निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर जानकारी (जो लागू हो) प्रेषित करें।

(1)	**आयोजन की जाने वाली परीक्षा/विभाग की जानकारी –**	
1.1	आयोजित की जाने वाली परीक्षा का नाम	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी की सीधी भर्ती
1.2	विभाग का नाम	मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था भोपाल
1.3	संबंधित अधिकारी का विवरण	
1.4	नाम	श्री एस.के. उपाध्याय
1.5	पद	प्रबंध संचालक
1.6	कार्यालय का पता	तृतीय तल, बी–2 ऑफिस काम्प्लेक्स गौतम नगर भोपाल
1.7	दूरभाष नंबर	0755–2600860, 2583629
1.8	मोबाईल नंबर	9425009129
1.9	फेक्स नंबर	0755–2583903
1.10	ई–मेल	mpsscaho@rediff.com
1.11	वेबसाईट	www.ssca.mp.gov.in
(2)	**चयन हेतु नियम प्रारूप अथवा चयन अनुदेश –**	
2.1	परीक्षा आयोजन की अनुमति/शासन का संदर्भित पत्र क्रमांक अंकित करें।	शासन के ज्ञाप क्र. बी–15–13/2007/14–2 दिनांक 16 मार्च 2007 एवं संचालक मण्डल की 59वीं बैठक दिनांक 01 सितम्बर 2007
2.2	पदों का विवरण	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी
(3)	**पदनाम, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हताएं –**	
3.1	पदों का विवरण	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी
3.2	पदों की संख्या	112
3.3	वेतनमान	5000–150–8000
3.4	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से किसी एक विषय में कृषि स्नातकोत्तर **(एम.एस.सी. कृषि) :–** **(1) प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स** **(2) कृषि वनस्पति शास्त्र** **(3) एग्रोनामी**
3.5	विभागीय परीक्षा से संबंधित कोई विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता हो तो	**निरंक**
(4)	**परीक्षा शुल्क –**	
	मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा सीधे आवेदक से ली जावेगी/विभाग द्वारा मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का देय होगा।	**(1) रूपये 400.00 (रू. चार सौ) प्रति सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक** **(2) रूपये 200.00 (रू. दो सौ) प्रति आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के आवेदक तथा अन्तर की राशि रूपये 200/– प्रति आरक्षित उम्मीदवर के हिसाब से संस्था द्वारा व्यापम को भुगतान किया जायेगा।**
(5)	**मूल्यांकन संबंधी कोई विशिष्ट बिन्दु –**	
5.1	साक्षात्कार संबंधी निर्देश	**साक्षात्कार हेतु 10 प्रतिशत अंक निर्धारित।**

5.2	पैनल में सदस्यों की संख्या	4 (शासन के नियमानुसार SC/ST/OBC वर्ग से एक सदस्य होना आवश्यक है)
5.3	कितने सदस्य हों ?	04 सदस्य
5.4	साक्षात्कार हेतु गुणानुक्रम में कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाना है ?	कम से कम दो गुणा
5.5	अन्य कोई बिन्दु।	निरंक
(6)	**चयन का आधार –**	**मेरिट के आधार पर**
6.1	चयन हेतु निर्धारण	लिखित परीक्षा में 90 प्रतिशत अंक एवं साक्षात्कार में 10 प्रतिशत अंक निर्धारित किया जावे।
6.2	न्यूनतम अर्हकारी प्राप्तांक (1) लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में	लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से 50 प्रतिशत
6.3	प्रावीण्य सूची/प्रतीक्षा सूची बनाने हेतु आधार	मेरिट
6.4	अन्य	निरंक
(7)	**परीक्षा शहर –**	**भोपाल**
(8)	**यात्रा व्यय का भुगतान –**	
8.1	आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का यात्रा भुगतान (यदि लागू हो तो) का पूर्ण विवरण दें।	मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने पर मध्यप्रदेश शासन के नियामानुसार पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय यात्रा व्यय का भुगतान कार्यालय म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था भोपाल के द्वारा केन्द्र पर ही देय होगा।
(9)	**पारस्परिक वरीयता**	योग्यता क्रम अनुसार तथा पारस्परिक मेरिट–उत्तीर्ण आवेदकों की मेरिट उन्हें परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी, परन्तु यदि दो व्यक्तियों को एक समान अंक मिले, तो उस आवेदक को वरिष्ठ माना जाएगा, जो आयु में वरिष्ठ हो।
(10)	**चयनोपरांत प्रशिक्षण हेतु आदेश जारी करने के पूर्व प्रमाण पत्रों का सत्यापन**	साक्षात्कार के पूर्व प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्य।
(11)	**प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली शर्ते/नियम :–**	
11.1	अनुबंध का निष्पादन	नियुक्ति के समय
11.2	नियुक्ति की शर्ते	प्रति संलग्न है।
11.3	नियुक्ति/पद का वेतनमान	5000–150–8000
(12)	**न्याय क्षेत्र/अधिकार**	भोपाल/प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।
(13)	**अन्य कोई बिन्दु जिसे समाविष्ट किया जाना है।**	निरंक
नोटः– उपयुक्त बिंदु जो लागू नहीं होते है उन्हें निरंक/लागू नहीं अंकित करें। उपयुक्त नियमों की सॉफ्टकापी संलग्न करें।		निरंक

(14)	**प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों का विवरण :–**	
14.1	प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों का विवरण	(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्डधारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र.सी–3–40–आ.–84–(3)1, दिनांक 11.01.85 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाऐगी। (2) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3–10–85–3–1, दिनांक 03.09.85 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाऐगी। (3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित, खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी–3–18–85–3–1, दिनांक 3.9.85 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाऐगी।
14.2	छूट संबंधी शर्ते	**शासन के नियमानुसार**
(15)	**अभ्यर्थिता / चयन के संबंध में अन्य अर्हताएं / जानकारी जैसे :–**	
15.1	नागरिकता संबंधी	**म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है।**
15.2	मूल निवासी / आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण	**शासन द्वारा निर्धारित मूल निवासी का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य।**
15.3	स्थानीय निवासी के प्रमाण पत्र का निर्धारित प्रारूप संलग्न करें	**शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में।**
15.4	यदि अन्य कोई जानकारी दी जाना हो तो उसका पूर्ण विवरण	**सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी का कार्य स्वरूप मैदानी होने के फलस्वरूप विकलांग व्यक्ति इस पद के लिये पात्र नहीं होंगे।**
(16)	**अभ्यर्थिता / चयन के संबंध में निर्हताएं / जानकारी जैसे :–**	
16.1	पररूपणधारण	**पुरूष / महिला**
16.2	विवाह संबंधी	**(अ) विवाहित / अविवाहित** **(ब) दो जीवित बच्चे से अधिक नहीं होने संबंधी प्रमाण।** **टीप :** 1. ऐसा पुरूष उम्मीदवार जिसने 21 वर्ष की आयु के पूर्व तथा ऐसी महिला उम्मीदवार जिसने 18 वर्ष की आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो लिखित परीक्षा के लिये अनर्ह माना जायेगा। 2. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनर्ह माना जायेगा। परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म हो लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनर्ह नहीं माना जायेगा। 3. कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के अनर्ह होगा।
16.3	कदाचरण संबंधी	**नियुक्ति के पूर्व पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र सत्यापन कराया जावेगा।**

16.4	(स्वास्थ्य संबंधी मानसिक रूप से फिट न होने पर)		**अयोग्य**
16.5	फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/ चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो अन्य –		**सेवा से पृथक किया जावेगा एवं कोई अपील मान्य नहीं होगी।**
16.6	अन्य कोई हो तो उसका पूर्ण विवरण		**निरंक**
(17)	**चयन प्रकिया के चरण/आधार :–**		
17.1	परीक्षा का प्रकार		
	17.1.1	लिखित परीक्षा	**व्यापम द्वारा**
	17.1.2	साक्षात्कार (विभाग द्वारा/मंडल द्वारा)	**व्यापम द्वारा (व्यापम के चाहे जाने पर विषयवस्तु विशेषज्ञ विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जा सकेगा)**
	17.1.3	शारीरिक क्षमता परीक्षण (यदि लागू हो तो)	**पूर्णतः स्वस्थ्य** (विकलांग व्यक्ति पात्र नहीं होंगे)
17.2	पाठ्यक्रम		
	17.2.1	सामान्य ज्ञान/विषय विशेष	**कृषि समूह से संबंधित विषय**
	17.2.2	पूछे जाने वाले पाठ्यक्रय का स्पष्ट विवरण किस स्तर का पाठ्यक्रम जैसे –10वीं, 10+2, स्नातक, स्नातकोत्तर, अन्य	**कृषि स्नातकोत्तर (एम.एस.सी. कृषि) स्तर के विषयों से संबंधित**
	17.2.3	प्रश्न पत्रों के नाम	**व्यापम द्वारा निर्धारित**
	17.2.4	प्रश्न पत्रों की संख्या	**01**
	17.2.5	प्रश्न पत्र में प्रश्नों का स्वरूप (वस्तुनिष्ठ/विस्तृत)	**वस्तुनिष्ठ**
	17.2.6	प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या	**व्यापम द्वारा निर्धारित**
	17.2.7	परीक्षा का माध्यम	**हिन्दी**
	17.2.8	परीक्षा की अवधि	**02 घंटे**
(18)	**पदवार का आरक्षण :–**		
18.1	आरक्षण का पूर्ण विवरण :–		

स.क्र.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्वसैनिक		अन्य		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1	अनारिक्षत	**39**	**17**	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	**56**
2	अनूसूचित जाति	**13**	**05**	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	**18**
3	अनुसूचित जनजाति	**16**	**07**	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	**23**
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	**10**	**05**	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	**15**

नोट :– यदि बैकलाग पदों की भर्ती परीक्षा है तो आरक्षित श्रेणी का पूर्ण विवरण दिया जाए :–

18.2	आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण :–		
	18.2.1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न करें।	**शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में**
	18.2.2	विकलांग प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न करें।	**लागू नहीं है।**
	18.2.3	विकलांग का प्रकार–अस्थिबाधित/दृष्टिबाधित/श्रवण बाधित/अन्य का (प्रारूप संलग्न करें)	**लागू नहीं है।**
	18.2.4	सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र (किसके द्वारा जारी मान्य किया जावेगा)	**लागू नहीं है।**
(19)	**आयु सीमा/आयु गणना/आयु में छूट :–**		
19.1	आयु सीमा का पूर्ण विवरण	आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 1.1.2009 को 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु निम्नानुसार रहेगी :– अ. अनारक्षित पुरूष उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष एवं अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिये 45 वर्ष। ब. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष	

		उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष एवं महिला उम्मीदवार के लिए 50 वर्ष। स. सामान्य वर्ग की विधवा/परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये 50 वर्ष तथा आरक्षित प्रवर्ग की विधवा/परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये 55 वर्ष। द. शासकीय सेवकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. 314/सी.आर./102/1 दिनांक 26.6.85 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। ई. मध्यप्रदेश राज्य निगम/मंडल के कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/86/तीन/1/ दि.1.1.1987 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी।
19.2	आयु गणना किस तिथि/वर्ग से मान्य की जावेगी।	**दिनांक 01.01.2009**
19.3	आयु में छूट	**शासन के नियमानुसार**
	19.3.1	उच्चतम आयु सीमा में श्रेणीवार छूट :-

स.क्र.	**आवेदक**	**श्रेणी**	**आयु का विवरण**
1	पुरूष	सामान्य/अनारक्षित	**35 वर्ष**
2	पुरूष	आरक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग	 **35+5=40 वर्ष** **35+5=40 वर्ष** **35+5=40 वर्ष**
3	महिला	आरक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग	 **35+10+5=50 वर्ष** **35+10+5=50 वर्ष** **35+10+5=50 वर्ष**
4	महिला	सामान्य वर्ग - विधवा/परित्यक्ता /तलाकशुदा आरक्षित - अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा	**35+10=45 वर्ष** **35+10+5=50 वर्ष** **35+10+5+5=55 वर्ष**

(एस.के. उपाध्याय)
प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था भोपाल

निर्धारित शर्ते

1. चयनित उम्मीदवारों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जावेगा। परिवीक्षा अवधि में उम्मीदवार को वेतनमान रूपये 5000—150—8000 का न्यूनतम वेतन रूपये 5000/— (रूपये पॉच हजार) तथा उस पर देय मंहगाई व अन्य भत्ते शासन के नियमानुसार प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमित नियुक्ति की जावेगी। परिवीक्षा अवधि की सेवाओं का निष्पादन अनुबंध (बॉड) द्वारा किया जायेगा। चयनित उम्मीदवार की पदस्थापना मध्यप्रदेश में किसी भी स्थान पर की जा सकती है।
2. आवेदक द्वारा उसकी नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का दबाव/प्रभाव डालने पर उसे नियुक्ति के लिये अपात्र माना जावेगा।
3. पद रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्वि हो सकती है।
4. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
5. चयनित उम्मीदवार का प्रथमतः चरित्र सत्यापन कराया जायेगा, पुलिस विभाग से उनके संबंध में किसी प्रकार की अनुचित जानकारी प्राप्त होने पर उन्हें बिना किसी सूचना के सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
6. उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जावेगा, शासन के नियमानुसार लिखित परीक्षा में बुलाने पर उम्मीदवारों (सामान्य/अनारक्षित उम्मीदवार को छोड़कर) को निकटतम दूरी का रेल या बस से साधारण दर्जा का टिकिट प्रस्तुत करने पर किराया दिया जावेगा। असत्य जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

पदों की पूर्ति एवं विवाद की स्थिति में संस्था के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

(एस.के. उपाध्याय)
प्रबंध संचालक

अध्याय – 2
मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम

महत्वपूर्ण :–

आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन काउंसिलिंग/प्रवेश के समय संबंधित विभाग/संस्था द्वारा किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

2.1 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आवेदन–पत्र के साथ मूल जाति प्रमाण–पत्र की स्कैन की गई प्रति संलग्न करना आवश्यक है। जाति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति की स्कैन प्रति मान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ कोई अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है।

2.2 स्क्रुटनी/आवेदन–पत्र का निरस्तीकरण :–

ऑनलाईन पद्धति से निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की स्क्रुटनी निम्न बिन्दुओं पर की जायेगी :–

(i) अभ्यर्थी का फोटो
(ii) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(iii) श्रेणी
(iv) संवर्ग
(v) मूल निवासी
(vi) पाठ्यक्रम का विवरण जिसमें परीक्षा देना है
(vii) लिंग
(viii) जन्मतिथि

उपरोक्त जानकारी रिक्त,गलत या अपूर्ण की स्थिति में आवेदन–पत्र निरस्त किया जायेगा।

2.3 निरस्त होने के कारणों की सूचनाः–

(i) मंडल कार्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदन पत्र में आवेदक को त्रुटि सुधार का कोई भी अवसर नहीं दिया जायेगा।

(ii) नियमानुसार निरस्त किये गये आवेदन–पत्रों की जानकारी, निरस्तीकरण के कारण सहित मंडल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध करा दी जावेगी। इस कार्यालय द्वारा इस संबंध में पृथक से सूचित नहीं किया जावेगा।

2.4 परीक्षा प्रवेश–पत्र (Test Admit card) :-

मण्डल कार्यालय में नियमानुसार मान्य आवेदन–पत्र के अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र (Test Admit card-TAC) जारी किए जायेंगे। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा प्रवेश–पत्र प्रेषित नहीं किए जायेंगे। समस्त प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर दिए जायेंगे तथा अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवेश–पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके आधार पर अभ्यर्थी सीधे परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। डाउनलोड किए हुए प्रवेश–पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट :– प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत त्रुटि के दृष्टिगोचर होने पर मण्डल उसे रद्ध/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.5 परीक्षा शहर :–

यह परीक्षा निम्नलिखित शहरों में आयोजित की जायेगी :– भोपाल

2.6 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :–

प्रवेश–पत्र, काली स्याही का बॉलप्वाइंट पेन।

2.7 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.8 परीक्षा के विषय एवं प्रश्न–पत्र :–

परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा तथा प्रश्न–पत्र में 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

2.9 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित कर लें कि सीट पर, सीट के निकट, कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछनीय सामग्री, कोई पुस्तक या कागज आदि नहीं है। इनका होना अनुचित साधनों का प्रयोग में लाना माना जाएगा एवं तदनुसार दण्डनीय होगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थियों से चर्चा करना, उनकी उत्तरशीट/प्रश्नपुस्तिका से नकल करना अथवा अपनी उत्तरशीट/प्रश्नपुस्तिका से अन्य परीक्षार्थियों से नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से इन्हें बदलना, कक्ष में बोलना या बताना आदि अनुचित साधनों के प्रयोग के अंतर्गत माना जाएगा एवं UFM के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर आगे बिना किसी अन्य सुनवाई के उसकी संपूर्ण परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही, उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए, जो मंडल उचित समझे, मंडल की सभी परीक्षाओं से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

2.10 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :– परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

1. प्रश्न की संरचना गलत हो।
2. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
3. कोई भी विकल्प सही न हो।
4. यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
5. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 81 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना इस प्रकार होगी :–

$$\frac{81 \text{ x } 100}{(100 - 2)} = 82.65$$

2.11 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर एक अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.12 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :–

प्रवेश नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा पात्र घोषित अभ्यर्थियों की सूची बनाई जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर देखा सकता है। परीक्षा परिणाम मंडल कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध होगा। प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में परीक्षा परिणाम संबंधी विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

2.13 अंक सूची :

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर दी जायेगी। अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.14 डुप्लीकेट अंकसूची :

इस परीक्षा में मण्डल द्वारा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है। उपरोक्त नियम क्रं. 2.13 में दर्शाये अनुसार अभ्यर्थी अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं।

2.15 म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :–

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

2.16 क्षेत्राधिकार :–

किसी भी परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

---0---